

न्यायालय तहसीलदार गुडामालानी जिला बाडमेर

प्रकरण संख्या 10 / 2017

प्रार्थी
राजस्थान सरकार जरिये
पटवारी हलका भाखरपुरा

बनाम

अप्रार्थी

श्री नानजी वल्द जवाना
कौम-कल्की
ग्राम-~~खार~~ (मिथा की टाणी)
तह- गुडामालानी

दिनांक 28.08.17

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :- 1. पटवारी हलका भाखरपुरा

2. अप्रार्थी / ~~अप्रार्थीगण~~ अनुपस्थित नानजी

निर्णय

प्रकरण से संक्षिप्त में तथ्य निम्न प्रकार हैं । पटवारी हलका भाखरपुरा ने न्यायालय नायब तहसीलदार गुडामालानी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अप्रार्थी / ~~अप्रार्थीगण~~ ने सरहद मौजा ~~मिथा की टाणी~~ सरकारी भूमि ख.नं. 491/73..... कुल रकबा 123..... किस्म गै. मु. गोचर मेंसे 3.15..... बीघा भूमि पर ~~बार बनाकर~~..... अनाधिकृत कब्जा किया है, अतः इन्हें बेदखल किया जावे । अतः प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी / ~~अप्रार्थीगण~~ को जरिये नोटिस तलब किया गया । अप्रार्थी से नोटिस तामिल होकर आया, जिसे शामिल पत्रावली किया गया । सर्कल परिवर्तन होने से पत्रावली न्यायालय नायब तहसीलदार गुडामालानी से स्थान-तरित होकर इस न्यायालय के प्राप्त हुई हैं ।

उपस्थित


नियत तारीख पेशी दिनांक 28.08.17..... को प्रार्थी पटवारी हलका तथा अप्रार्थी / ~~अप्रार्थीगण~~ नोटिस तामिली कें बावजूद अनुपस्थित, अतः एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है ।

प्रार्थी पटवारी हलका ने अप्रार्थी / ~~अप्रार्थीगण~~ को बेदखल करने तथा दंडित करने का निवेदन किया:

हमने पत्रावली का अध्ययन तथा अवलोकन किया । उक्त भूमि पर अप्रार्थी / ~~अप्रार्थीगण~~ के अतिक्रमण की पुष्टि होती है अतः अप्रार्थी / ~~अप्रार्थीगण~~ को उक्त भूमि का अतिक्रमण घोरित किया है तथा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग हुआ है ।

अप्रार्थी / अप्रार्थीगण को उक्त भूमि से बेदखल करने के आदेश दिये जाते हैं । यदि मौके पर फसल खडी हो तो नष्ट कर दी जावे। लगान ...5.40... रुपये का बीस गुणा ...108=०० अक्षरे रुपये एक सौ आठ रुपये मात्र शास्ति जुर्माना आरोपित की जाती है , जो वसूल हो । जुर्माना मांग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखाकार तथा जुर्माना वसूली तथा बेदखली हेतु पटवारी हलका सूचित हो ।

निर्णय दिनांक 28.09.17 को खुले न्यायालय में सुनाया गया , पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो । बाद तामिल दफतर दाखिल हो ।


(जोधसिंह)

तहसीलदार गुडामालानी